

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक'

प्रश्न सं. [क. 14]

[7/12/2016]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 14 (परिशिष्ट "अ")

क्र०	राजस्व याम का नाम	राजस्व याम के मजरा टोली के नाम
1		3
1	भरतोली	विजयपुर
2	भरतोली	कोडन
3	मुलगज	पठापुर
4	गोपालपुरा	टपरियन
5	मलगवा	अलगाना
6	अनगौर	कुवरपुरा
7	अनगौर	ज़ुआरन का पुरवा
8	अनगौर	बड़ामहां
9	अनगौर	गरयारा
10	पनागर	पनागर का पुरवा
11	चिपट	जमुनया पुरवा
12	जसबवाकला	टपरियन
13	मंगलपुरा	मौलापरवा
14	बरारोही	टपरियन
15	बक्सोई	बछरगुवा
16	लखनगुवा	बुदगुवा
17	लखनगुवा	नन्हीरा
18	रगोली	कोडन
19	डारगुवा	पठवापरवा
20	नंदगांववट्टन	बहारगज
21	कसार	नवलगज
22	कमिया	रामनगर
23	देवरा	टपरियन
24	धरमपुरा	टपरियन प्यासी
25	विहरवरा	गोशगज
26	जैतपुर	लभनाडेरा



अधीक्षक भूजभिलेख
जिला छत्तरपुर म030

क्रमांक ११९५ /११८४.प्र./मा.वि.श./म.टो./२०१२
प्रति,

व्यालियर दिनांक १५.४.२०१२
प्राप्ति १५०२-६

अताखण्ड - १५

आधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्टर जिला स्थभरत
(ज.प्र.)।

विषय- माननीय सुखदमंत्री जी की घोषणा क्र. ए ०९६९ मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने वायत् ।
संदर्भ- (१) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भौपाल का समस्त कलेक्टर्स को सम्बोधित तथा
इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एक ११-१/२०१०/सात-श.६ भौपाल दिनांक ४ जुलाई २०११.
(२) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक ७८१/११८४.प्र./मा.वि.श./म.टो./२०१२ व्यालियर दिनांक १६.४.२०१२.

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अगलोकन करने का काम करें। विष्णान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्तु व्यालियर में आधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक २.६.२०१२ को आयोगित की गई थैठक नं. मा.भ.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि श्रू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हे राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।

अत मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नान्वित मापदण्ड भवनाये जायें-

- (अ) दून राजस्व धर्म से मजरे टोलों की दूरी संगतम २ कि.भा.या अधिक होनी चाहिये।
- (ब) प्रथक धनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल २०० एकड़ से कम न हो, तर्थं पृथक हुए उन ग्राम की जातांडी २०० वा अधिक होनी चाहिये।
- (स) प्रथक धनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीकार्य मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, सजौर टोलों से पृथक धनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमाये मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहे।

अतः उपरोक्त अ.व.स के मापदण्डों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को इष्टीगत रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची एवं सूचित किये जा रहे, नरीन राजस्व ग्रामों के आवासियों की प्रति, के साथ, उचित्यपूर्ण प्रत्याप निर्देशानुसार १५ से २० दिवस के अन्दर प्राधिकरण देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजायें।

मजरे टोलों से धनाये जाने थते नवीन राजस्व ग्रामों के प्रत्याप, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामधारी मूरी, मानविव, सुभूषण ही, इस तरीके का छिशेगत विवर रखे जाने धगत आटेशित किया जाता है।

राज्यका आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्तु
मध्य प्रदेश

अन्यका० । ५

४२८६
गवालियर दिनांक

क्रमांक /११भू.प्र./गा.चि.शा./म.टो./२०१२
प्रतिलिपि-

- १- कलेक्टर जिला समृद्धन - म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि अधीनस्थ को विधायिका जानकारी के, प्रस्ताव १५ से २० दिवस के भीतर निर्दशानुसार तैयार कराये जाकर इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कष्ट करें।
- २- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख जिला समृद्धन - म.प्र.की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ज्ञात

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं चन्दोपस्त
मध्य प्रदेश